न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

(1) अपील सं0 37 / 2022
आरसीएमएस नं. 2022 / 37

यूनस पुत्र इब्राहिम जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर हाल मोधुनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। —अपीलान्ट

बनाम

1. हाकमअली पुत्र बली मोहममद जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।

2. रजाक
3. शरीफ
4. याकूब
5. जाकर
6. युसुफ
7. सलामू

(क्रमांक 2 से 7) पुत्रगण इब्राहिम जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।

8. बादो देवी पत्नी स्व0 इब्राहिम
9. सन्तोष पुत्री नसीरा पत्नी बली मोहम्मद
10. सममुखा पुत्र बली मोहम्मद
11. श्योकत पुत्र बली मोहम्मद
12. शेर मोहम्मद पुत्र बली मोहम्मद
13. गुलाम रसूल पुत्र बली मोहम्मद
14. मैमुना पत्नी रफीक खां बली मोहम्मद
15. असलम पुत्र रफीक खां
16. इमरान खां पुत्र रफीक खां
17. सलीम पुत्र रफीक खां
18. अख्तरखां पुत्र रफीक खां
19. फियम पुत्र रफीक खां
20. जाकिर हुसैन पुत्र फेज मोहम्मद
21. युसुफ पुत्र फैज मोहम्मद

(क्रमांक 8 से 21) जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

22. अब्दुल शकूर पुत्र सफिया 23. अब्दुल मजीद पुत्र सफिया 24. श्योकतअली पुत्र सफिया 25. मंगतु पुत्र सुभान 26. अमीन पुत्र सुभान 27. नानू पत्नी नेक मोहम्मद 28. इशाक मोहम्मद पुत्र नेक मोहम्मद 29. युसुफ अली पुत्र नेक मोहम्मद 30. महबूब अली पुत्र नेक मोहम्मद 31. नवाब खां पुत्र नेक मोहम्मद 32. सीमा बानो पुत्री नेक मोहम्मद 33. यासीन पुत्र खलील 34. मकबूल पुत्र खलील 35. रफीक पुत्र खलील 36. नवाब पुत्र खलील	जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।
37. याकूब खां पुत्र जमालदीन 38. अयूब पुत्र जमालदीन 39. अनिल मोहम्मद पुत्र अनवर	जाति कुम्हार निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।

40. मकबूल– फौत

40 / 1 शकूरा पत्नी मकबूल निवासी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।

40 / 2 गुनी पुत्री मकबूल खां पत्नी हाकम अली निवासी मोधुनगर तहसील रावतसर

40 / 3 मजीद पुत्री मकबूल खां निवासी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।

40 / 4 नाजम पुत्री मकबूल खां निवासी कलालों की ढाणी तह. नोहर।

40 / 5 मैमुना पुत्री मकबूल खां पत्नी मुस्ताक जाति कलाल निवासी भानीपुरा मोहल्ला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

41. सलीम पुत्र नवाब खां 42. रफीक पुत्र खलील 43. जाफरी पत्नी यासीन 44. युसफ पुत्र यासीन 45. राकेश पुत्र यासीन 46. सदाम पुत्र हाकम अली 47. शकूर पुत्र अबीब	जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Lan

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

48. समसूदीन पुत्र हबीब
49. कश्मीर खां
50. खातून
51. आसमीन
52. आमना
53. नसीब
54. मदीना
55. अरशद
56. सुमन
57. रसीद खां
58. रूकसाना

(49 से 58) पुत्र पुत्रियां बशीर खां जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।

59. भंवर खां पुत्र रेशमा पुत्र हबीब खां जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।
60. ज्योति पत्नी सुरेश कुमार जाति सोनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
61. सुशील कुमार पुत्र रामकुमार जाति मन्नावाली तहसील व जिला हनुमागनढ। मनोज कुमार पुत्र देवीलाल जाति सुनार निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
62. मनोज कुमार पुत्र देवीलाल जाति सुनार निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
63. कबीर पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
64. कमला बानो पुत्री नेक मोहम्मद जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।
65. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 25.10.2021 व
दिनांक 04.02.2022 संशोधित
द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नोहर
प्रकरण संख्या 340 / 2017 बअनवान हाकम अली बनाम रजाक आदि

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

(2) अपील सं0 43 / 2022
आरसीएमएस नं. 2022 / 43

समसूदीन पुत्र हबीब जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर हाल मोधुनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। —अपीलान्ट

बनाम

1. गुलाम रसूल पुत्र बली मोहम्मद जाति कलाल मुसलमान निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।
2. हाकमअली पुत्र बली मोहममद जाति कलाल मुसलमान निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. कबिर पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
4. ज्योति पत्नी सुरेश कुमार जाति सोनी निवासी नोहर

5. रजाक
6. शरीफ
7. याकूब
8. जाकर
9. युसुफ
10. सलामू
11. यूनस

} पि0 इब्राहिम जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।

11. यूनस
12. बादो देवी पत्नी स्व0 इब्राहिम
13. सन्तोष पुत्री नसीरा पत्नी बली मोहम्मद
14. सममुखा पुत्र बली मोहम्मद
15. श्योकत पुत्र बली मोहम्मद
16. शेर मोहम्मद पुत्र बली मोहम्मद
17. रफीक खां पुत्र फैज मोहम्मद —फौत
    18 / 1 मैमुना पत्नी रफीक खां बली मोहम्मद
    18 / 2 असलम पुत्र रफीक खां
    18 / 3 इमरान खां पुत्र रफीक खां
    18 / 4 सलीम पुत्र रफीक खां
    18 / 5 अख्तर खां पुत्र रफीक खां
    18 / 6 फियम पुत्र रफीक खां

} जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर

राजस्व अपील अधिकारी (राज.) हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

19. कासम अली पुत्र फैज मोहम्मद
20. जाकिर हुसैन पुत्र फेज मोहम्मद
21. युसुफ पुत्र फैज मोहम्मद
22. सफिया पुत्र सुभान खां– फौत
22 / 1 अब्दुल शकूर पुत्र सफिया
22 / 2 अब्दुल मजीद पुत्र सफिया
22 / 3 श्योकत अली पुत्र सफिया
23. मंगतु पुत्र सुभान
24. अमीन पुत्र सुभान
25. नेक मोहम्मद पुत्र कमरूदीन –फौत
25 / 1 नानू पत्नी नेक मोहम्मद
25 / 2 इशाक मोहम्मद पुत्र नेक मोहम्मद
25 / 3 युसुफ अली पुत्र नेक मोहम्मद
25 / 4 महबूब अली पुत्र नेक मोहम्मद
25 / 5 नवाब खां पुत्र नेक मोहम्मद
25 / 6 सीमा बानो पुत्री नेक मोहम्मद
26. यासीन पुत्र खलील–फौत

} जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।

26 / 1 जाफरी पत्नी
26 / 2 युसफ
26 / 3 राकेश

} यासीन खां जाति कलाल निवासी 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।

27. मकबूल पुत्र खलील –फौत
27 / 1 शकूरा पत्नी मकबूल निवासी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।
27 / 2 गुनी पुत्री मकबूलखांन पत्नी हाकम अली निवासी मोधुनगर तहसील रावतसर
27 / 3 मजीद पुत्री मकबूल खां निवासी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।
27 / 4 नाजम पुत्री मकबूल खां निवासी कलालों की ढाणी तह. नोहर।
27 / 5 मैमुना पुत्री मकबूल खां पत्नी मुस्ताक जाति कलाल निवासी भानीपुरा मोहल्ला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
28. रफीक पुत्र खलील खां जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।
29. नवाब खां पुत्र खलील खां–फौत
29 / 1 सलीम खां पुत्र नवाब खां जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।

(स्टाम्प: राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.))

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

30. याकूब खां पुत्र जमाल दीन जाति कुम्हार निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।
31. अयूब पुत्र जमाल दीन जाति कुम्हार निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।
32. अनिल मोहम्मद पुत्र अनवर जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर जिला हनुमागनढ
33. सदाम पुत्र हाकम अली जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर
34. शकूर पुत्र हबीब जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर
35. कश्मीर खां बशीर खां जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर ।
36. खातून
37. आसमीन
38. आमना
39. नसीब
40. मदीना
41. अशरद
42. सुमन
43. रसीद खां
44. रूकसाना

(36–44) पुत्र पुत्रियां बशीर खां जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।

45. भंवर खां पुत्र रेशमा पुत्र हबीब खां जाति कलाल निवासी चक 14 बारानी कलालों की ढाणी तहसील नोहर।
46. सुशील कुमार पुत्र रामकुमार जाति मन्नावाली तहसील व जिला हनुमागनढ।
47. मनोज कुमार पुत्र देवीलाल जाति सुनार निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
48. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2018 व दिनांक 25.10.2021 व
दिनांक 04.02.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नोहर
प्रकरण संख्या 340 / 2017 व नया 923 / 2021 बअनवान हाकम अली बनाम रजाक आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री देवदत्त भिड़ासरा अपीलाण्ट अपील सं0 2022/37

श्री हरिसिंह स्याग श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता अपीलांट अपील सं0 43/2022

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 40/1 से 40/5

श्री मांगीलाल बेनीवाल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ता 19, 24, 37

श्री राजेश कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 65

निर्णय

दिनांक – 17.1.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वादपत्र में कथन कियाकि रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता सं0 98/90 की कुल 20.1250 है0 भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का वाद भूमि में संयुक्त रूप से काश्त व माल लगान आदि करते हैं परन्तु पक्षकारान में अब काश्त लगान बाबत आपस में तनाजात रहते हैं इसलिए वादी यह घोषणा करवाने का अधिकारी है कि वाद भूमिें वादी अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लागान दिगर प्रतिवादीगण से अच्छी मन्दी के हिसाब से विभाजन करवा पाने के अधिकारी हैं वाद विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से में आई भूमि को अलग कर वादी का खाता व लागन अलग-अलग कायम किया जावे। अधीनस्थ न्यायलाय ने वादी वादी अपीलाधीन निर्णय के द्वारा डिक्री किया जिससे व्यथित होकर उपरोक्त दो अपीलें पेश हुई हैं। दोनों अपीलो में समान पक्षकार एवं समान भूमि होने एवं एक ही आदेश के विरूद्ध होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में अलग अलग रखी जावे।
2. दोनों अपीलों के अपीलाण्ट्स ने अपनी संयुक्त बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय का निर्णय विधि विरूद्ध एवं असमान व एकतरफा विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित की गई होने के कारण काबिल-ए-खारिज है। तहसीलदार नोहर के द्वारा राजस्थान काश्तकारी राजस्व मडल नियम 1953 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव की मांग की थी परन्तु तहसीलदार द्वारा इन नियमों की पूर्णतया अनदेखी कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण नहीं किया गया व ना ही कभी मौके पर गये। केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर कर प्रस्ताव भिजवाया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रत्येक पक्ष के हिस्सा का मुल्यांकन करने सम्बंधी कोई कथन अंकित नहीं किये हैं। पटवारी हल्का द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया जो भी सरपंच ग्राम पंचायत 22 एनटीआर के कहने से तैयार किया गया है। इसलिए सरपंच द्वारा पटवारी से मिलकर वादी को लाभ पहुंचाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसकी कोई सूचना अपीलार्थी को कभी नहीं दी गई एवं एकतरफा तौर से यह विभाजन प्रस्ताव तैयार कर वादी को लाभ पहुंचाया है। अपीलार्थी 4 एसपीडी मोधुनगर रावतसर में रहता है तथा नोटिस चक 14 बारानी की सकूनात पर भेजा गया है जबकि अपीलार्थी को कभी नोटिस नहीं मिला। अपीलार्थी की भूमि को टुकड़ों में बांट दिया है। रेस्पोडेण्ट ने साजबाज कर अच्छी किस्म की भूमि हड़प ली है। अपीलार्थी का कब्जा काश्त प्रथामिक कर दिया इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि में अच्छी में से अच्छी किस्म की भूमि वादी के हक में एवं अपीलार्थी एवं अन्य प्रतिवादीगण का खाता सम्मिलि कर हिस्से में दर्ज की गई है। प्रशासन गांव के संग अभियान केवल राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किये जाने के आदेश थे एवं उपरोक्त पत्रावली में कहीं भी राजीनामा नहीं था तथा ना ही फर्द अहकाम पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर हैं केवल मात्र तहसीलदार के कथनों को बिना किसी जांच किये बिना साक्ष्य के एकतरफा सही मानकर अन्तिम डिक्री पारित की गई है। समस्त काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं कमला बानो पुत्री नेक मोहम्मद को पक्षकार संयोजित किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट्स को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट्स को विधि सम्मत तरीके से तामील करवाई गई थी बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आने पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। तहसीलदार से राजस्थान काश्तकारी राजस्व मडल नियम 1953 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया था, जो पूर्णता नियमों की पालना करते हुए तैयार कर भिजवाया गया है। किसी भी पक्षकार द्वारा प्रस्ताव पर किसी प्रकार का एतराज नहीं किया गया था। किसी पक्षकार द्वारा दावा का विरोध नहीं करने के कारण खाता विभाजन की मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। हमने अपनी भूमि का अलग खाता कायम करवाया है। अपीलाण्ट्स की भूमि को हमने छुआ भी नहीं है। प्रश्नगत भूमि में जितना हमारा हिस्सा बनता है उतने हिस्से की डिक्री पारित की गई है। इससे ज्यादा नहीं ली गई है। अपीलाण्ट्स को अपीलाधीन निर्णय का पहले से ही ज्ञान रहा है। अपीलाण्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायलाय का निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
5. अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
6. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट हाकम अली ने अधिकारों की घोषणा का एवं खाता विभाजन का वाद पेश किया था। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तलबी हेतु चल रही थी परन्तु दिनांक 20.06.2018 को बिना प्रतिवादी की तलब किये कैम्प कोर्ट में प्राथमिक डिक्री पारित कर पक्षकारों के हिस्सा अनुसार अच्दी मंदी भूमि की खाता विभाजन की रिपोर्ट हेतु तहसीलदार नोहर को कमिश्नर नियुक्त किया गयाहै। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 पत्रावली में संलग्न है। जिससे स्पष्ट होता है कि रिपोर्ट बनाते समय राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1953 के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कया गया है। जबकि आरबीजे 2018 पेज 676 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राजस्थान टिनेन्सी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21– विवादित भूमि के बात तहसीलदार स्वयं भूमि पर जाकर प्रस्ताव तैयार करेगा। वर्तमान प्रकरण में उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया साथ ही कमला बानो जो कि नेक मोहम्मद रेस्पोडेण्ट की पुत्री हैको पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है तााि कमला बानो पुत्री नेक मोहममद को बिना पक्षकार बव डिक्री पारित की है जो काबिल निरस्ती के है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त दोनों अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किये जाने योग्य है कि तहसीलदार से राजस्थान टिनेन्सी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालने करते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय परित करे।
7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ऐसी स्थिति में उपरोक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2018 व दिनांक 25.10.2021 व दिनांक 04.02.2022 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार से राजस्थान टिनेन्सी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालने करते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय परित करे। अधीनस्थ न्यायालय का

राजस्व अपील अधिकारी (राज.) हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। निर्णय की प्रति दोनों पत्रालियों में अलग अलग रखी जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक ....17.01.2023.....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.1.23
(करतारसिंह पूनीयॉ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.)